(1935-2010)
प्लैटिनम जयंती
PLATINUM JUBILEE

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

रिज़र्व बैंक केन्द्रीय भवन,
मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

विषयवस्तु

विहगावलोकनः
हम कौन हैं 3
- हमारी प्लैटिनम जयंती मनाना 4
- रिज़र्व बैंक : परंपरा और परिवर्तन 5
- 75 वर्ष मनाना : मुख्य-मुख्य बातें 6

संगठन और संरचना
हम कैसे काम करते हैं 8
- प्रबंधन और संरचना 9

प्रमुख गतिविधियां
हम क्या करते हैं 11
- मौद्रिक प्राधिकारी 12
- मुद्रा जारीकर्ता 15
- सरकार के बैंकर और ऋण प्रबंधक 18
- बैंकों का बैंक 20
- बैंकिंग प्रणाली का विनियामक 22
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधक 24
- भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षक 26
- विकासात्मक भूमिका 28

अनुसंधान, आकड़े तथा ज्ञान शेयर करनाः
हम कैसे संपर्क करते हैं 31
- आम जनता से संपर्क 32
- रिज़र्व बैंक के प्रकाशन 33

वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करना 34

ग्राहक सेवाः हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं 36

विहगावलोकन: हम कौन हैं

रिज़र्व बैंक की पहली इमारत, 1935 *कोलकाता*

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) देश का केन्द्रीय बैंक है

1935 से, जब से हमने परिचालन प्रारंभ किए, हम भारत की वित्तीय प्रणाली के केन्द्र पर रहे हैं। देश के मौद्रिक और वित्तीय स्थायित्व के प्रति हमारी बुनियादी प्रतिबद्धता रही है।

ब्याज तथा विनिमय दरों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने से लेकर वास्तविक क्षेत्र के लिए चलनिधि तथा मुद्रा की पर्याप्त अपूर्ति उपलब्ध कराना; बैंकों की पहुंच तथा जमाकर्ताओं की निधियों को सुनिश्चित करने से लेकर, वित्तीय संस्थाओं तथा बाज़ारों के संवर्धन और विकास तक, रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे निर्णय सभी भारतीयों की दैनिक जिंदगी को प्रभावित करते हैं और देश की वर्तमान और भविष्य की आर्थिक और वित्तीय दिशा के निर्धारण में सहायता करते हैं।

विगत वर्षों में, हमारी विशिष्ट भूमिकाओं तथा कार्यों की एक तस्वीर उभर कर आई है। त–थापि, कुछ चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे कि वह निष्ठा और व्यावसायिकता जिसके साथ रिज़र्व बैंक अपना अधिदेश पूरा करता है।

रिज़र्व बैंक एक नज़र में

- केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित
- भारत का मौद्रिक प्राधिकारी
- वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षक
- मुद्रा को जारी करनेवाला
- विदेशी मुद्रा रिज़र्व राशियों का प्रबंधक
- सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक
- भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक
- बैंकों के लिए बैंकर
- विकासात्मक कार्य
- अनुसंधान, आकड़े तथा ज्ञान शेयर करना

हमारी प्लैटिनम जयंती मनाना

1935-2010

रिज़र्व बैंक आज अपने परिचालन प्रारंभ कर रहा है और मुझे विश्वास है कि यह महान संस्था भारत और उसकी जनता की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान देगी।

आस्बर्न स्मिथ, रिज़र्व बैंक के प्रथम गवर्नर,
को वायसराय द्वारा भेजे गए तार से
उद्धरण, 1935

रिज़र्व बैंक : परंपरा और परिवर्तन

रायल कमीशन आन इंडियन करेंसी एंड फाईनेंस रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन आन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस–रिज़र्व बैंक का उद्‌गम 1926 से होता है, जब रायल कमीशन आन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने जिसे हिल्टन – यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता था – एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की थी ताकि सरकार से मुद्रा और ऋण का नियंत्रण अलग किया जा सके और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से केन्द्र सरकार के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई और इससे कई कार्य प्रारंभ हुए जिनकी परिणति 1935 में परिचालन प्रारंभ होने से हुई। तब से लेकर, रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों में बहुत परिवर्तन हुए हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो गया है।

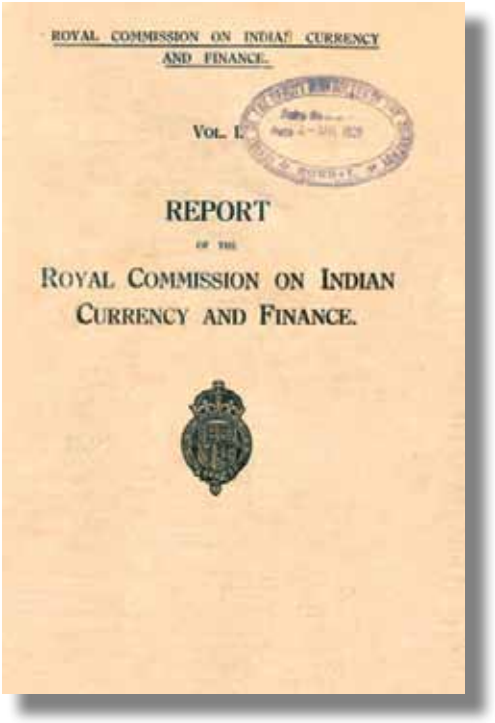
ROYAL COMMISSION ON INDIAN CURRENCY AND FINANCE.

VOL. I.

REPORT

OF THE

ROYAL COMMISSION ON INDIAN CURRENCY AND FINANCE.

आज का रिज़र्व बैंक मूल संस्था से कुछ मिलता – जुलता है, हालांकि अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से सघन, व्यापक और वैश्विक हो जाने के साथ–साथ हमारे मिशन में विस्तार हुआ है।

75 वर्ष की यात्रा:

1935

1 अप्रैल को परिचालन प्रारंभ हुए

1949

रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया; बैंककारी विनियमन अधिनियम पारित किया गया।

सत्यमेव जयते

1950

भारत ने योजनाबद्ध विकास की शुरुआत की रिज़र्व बैंक सक्रिय एजेंट और सहभागी बन गया।

1966

सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के विनियमन के अधीन आ गए।

1969

14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण (छह और बैंक 1980 में)

1973

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) में संशोधन करके रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा संबंधी नियंत्रण मज़बूत किए।

1974

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य प्रारंभ किए गए।

1975

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

1985

सुखमोय चक्रवर्ती और वागुल समिति रिपोर्टों के साथ वित्तीय बाज़ार सुधार प्रारंभ

1991

भारत के सामने भुगतान संतुलन का संकट; विदेशी मुद्रा रिज़र्व में बढ़ोतरी के लिए सोना गिरवी रखा गया। रुपये का अवमूल्यन

1993

विनियम दर का निर्धारण बाजार द्वारा

1994

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना

मुख्य-मुख्य बातें

1997
तदर्थ खज़ाना बिल समाप्त किए गए जिससे स्वयमेव मौद्रीकरण भी समाप्त

1998
मौद्रिक नीति के लिए बहुल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया।

2002
क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने (सीसीआईएल) सरकारी प्रतिभूतियों में समाशोधन और निपटान करना प्रारंभ किया।

2004
संपूर्ण दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा प्रारंभ की गई। बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) प्रारंभ की गई ताकि पूंजी प्रवाहों को निष्फल किया जा सके।

2005
वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान।

2007
रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणाली का विनियमन करने की शक्ति

2008/9
वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव कम से कम रखने के लिए सक्रिय प्रयास।

2000
फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम।

2003
केन्द्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम

2004
रीअल टाइम ग्रास सैंटलमेंट प्रणाली प्रारंभ।

1997
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन मजबूत किया गया।

2006
मुद्रा, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति

8 संरचना, संगठन और अधिशासन : हम कैसे काम करते हैं

रिज़र्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। केन्द्रीय निदेशक बोर्ड रिज़र्व बैंक के कारोबार का पर्यवेक्षण करता है।

About the Central Board

The Central Board has primary authority for the oversight of the Reserve Bank. It delegates specific functions through its committees and sub-committees.

- **केन्द्रीय बोर्ड:** इसमें गर्वनर, उप गर्वनर और कुछ निदेशक (संबंधित स्थानीय बोर्डों के) होते हैं।
- **केन्द्रीय बोर्ड की समिति:** केन्द्रीय बैंक के दैनंदिन परिपालनों का पर्यवेक्षण करती है और प्रत्येक सप्ताह बुधवार को मिलती है। कार्यसूची में वर्तमान परिचालनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता हैं जिसमें निर्गम और बैंकिंग विभागों के संबंध में लेखों के साप्ताहिक विवरण को अनुमोदन देना शामिल है।
- **वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड:** वाणिज्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विकासीय वित्तीय संस्थाओं, शहरी सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों का विनिमन और पर्यवेक्षण करता है।
- **भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए बोर्ड:** भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियम और पर्यवेक्षण करता है।
- **केन्द्रीय बोर्ड की उप-समितियां**
  निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा; स्टाफ; तथा भवन प्रत्येक उप-समिति का ध्यान परिचालन के विशिष्ट क्षेत्रों पर केन्द्रित रहता है।
- **स्थानीय बोर्ड:** देश के चार क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नै, कोलकाता, मुंबई तथा नई दिल्ली में। केन्द्र सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त स्थानीय बोर्ड सदस्य क्षेत्रीय तथा आर्थिक हितों का तथा सहकारी और देशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड

पूर्णकालिक निदेशक

- 1 गवर्नर
- अधिकतम 4 उप गवर्नर

गैर - पूर्णकालिक निदेशक

- प्रत्येक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 4 निदेशक
- नामित अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक
- केन्द्र सरकार का 1 प्रतिनिधि
- प्रत्येक वर्ष अधिकतम – 6 बैठकें
- कम से 1 बैठक – प्रत्येक तिमाही में

प्रबंधन और संरचना

गवर्नर, रिज़र्व बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। गवर्नर रिज़र्व बैंक की गतिविधियों और कारोबार का पर्यवेक्षण करता है और निदेश देता है। प्रबंध दल में उप गवर्नर तथा कार्यपालक विदेशक भी शामिल होते हैं।

कार्यपालक निदेशक

श्री. वी. के. शर्मा | श्री. सी. कृष्णन | श्री. आनंद सिन्हा | श्री. वी. एस. दास
श्री. जी. गोपालकृष्णन | श्री. एच. आर. खान | श्री. डी. के. मोहंती

विभाग

- **बाजार**
  - मौद्रिक नीति विभाग
  - वित्तीय बाजार विभाग
  - आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
  - बाह्य निवेश और परिचालन
- **विनिमयन और पर्यवेक्षण**
  - बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
  - बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
  - गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
  - शहरी बैंक विभाग
  - ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
  - विदेशी मुद्रा विभाग
- **अनुसंधान**
  - आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
  - सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग
- **सेवाएं**
  - सरकारी और बैंक लेखा विभाग
  - मुद्रा प्रबंध विभाग
  - भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
  - ग्राहक सेवा विभाग
- **सहायता**
  - प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
  - मानव संसाधन विकास विभाग
  - संचार विभाग
  - व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
  - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
  - परिसर विभाग
  - सचिव विभाग
  - राजभाषा विभाग
  - विधि विभाग
  - निरीक्षण विभाग

वित्तीय पर्यवेक्ष रिज़र्व बैंक में

- 26 **विभाग हैं :** ये रिज़र्व बैंक के कार्यमूलक क्षेत्रों तथा आंतरिक परिचालनों में नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।
- 26 **क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं हैं।** ये रिज़र्व बैंक के परिचालनात्मक अंग और ग्राहक के साथ संपर्क के साधन हैं। इनके प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक होते हैं। छोटी शाखाओं /उप कार्यालयों के प्रमुख महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक होते हैं।
- **प्रशिक्षण केन्द्र :** चेन्नै स्थित रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है; पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के स्टाफ को प्रशिक्षित करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र गैर-कार्यपालक स्टाफ को प्रशिक्षण देते हैं।
- **अनुसंधान संस्थान:** रिज़र्व बैंक ने पुणे स्थित राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंघान संस्थान तथा हैदराबाद स्थित बैंकिंग प्रौद्यौगिक में विकास और अनुसंघान संस्थान जैसे संस्थानों को बैंकिंग संबंधी मुद्दों, आर्थिक विकास और बैंकिंग प्रौद्यौगिकी में प्रशिक्षण तथा अनुसंधांन को बढ़ावा देने के लिए निधियां दीं।
- **सहायक संस्थाएं :** पूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाएं हैं - राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी), भारतीय रि. जर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में भी रिज़र्व बैंक एक प्रमुख हितधारक है।

पुणे में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र।

रिज़र्व बैंक की प्रमुख गतिविधियां: हम क्या करते हैं

रिज़र्व बैंक किसी सामान्य केन्द्रीय बैंक की तुलना में विविध प्रकार की गतिविधियां करता है जो सभी देश के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हैं। इस खंड में हमारी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है:

- मुद्रा जारीकर्ता
- सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक
- बैंकों का बैंकर
- बैंकिंग प्रणाली का विनियामक
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधक
- भुगतान और निपटान प्रणालियों का
- विनियामक और पर्यवेक्षक
- विकासात्मक भूमिका

मौद्रिक प्राधिकारी

मौद्रिक नीति उन लिखतों के प्रयोग से संबंधित है जिनका प्रयोग केन्द्रीय बैंक मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और प्रयोग का विनियमन करने के लिए करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बुनियादी कार्य हैं – बैंक नोटों के निर्गम को विनयमित करना और रिज़र्व बनाए रखना ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना जिससे देश को लाभ हो।

– भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिनियम 1934 की प्रस्तावना से

भारत में मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- मूल्य स्थिरता बनाए रखना
- अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास में सहायता की जा सके।
- वित्तीय स्थिरता

बदलती स्थूल आर्थिक – गतिविधियों के आधार पर उद्देश्यों पर सापेक्ष बल समय–समय पर बदलता रहता है।

हमारा दृष्टिकोण :

हमारा परिचालनात्मक फ्रेमवर्क एक बहुल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका अभिप्राय है कि अपने नीतिगत परिप्रेक्ष्य को विकसित करते समय हम आउटपुट की प्रवृत्तियों सहित ब्याज दरों, मुद्रा दर, मुद्रा आपूर्ति, ऋण, विनिमय दर, व्यापार, पूंजीगत प्रवाहों और राजकोषीय स्थिति जैसे कई संकेंतकों की निगरानी करते हैं और उनकी घट–बढ़ का विश्लेषण करते हैं।

हमारे साधन

भारतीय रिज़र्व बैंक का मौद्रिक विभाग मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्तीय बाजार विभाग दैनिक चलनिधि प्रबंध परिचालनों की देखरेख करता है। ऐसे कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखत हैं जिनका प्रयोग मौद्रिक नीति कौ तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में किया जाता है।

प्रत्यक्ष लिखत

- **प्रारक्षित चलनिधि अनुपात: (सीआरआर)**: निवल मांग और मीयादी देयताओं का वह अंश जो बैंकों को रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है।
- **सांविधिक चलनिधि अनुपात : (एसएलआर)**: निवल मांग और मीयादी देयताओं का वह अंश जो बैंकों को सुरक्षित और तरल आस्तियों में रखना होता है जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण में।
- **पुनर्वित्त सुविधाएं** : बैंकों को क्षेत्र-विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं (उदाहरण के लिए, बैंकों को निर्यात क्षेत्र को उधार पर)

अप्रत्यक्ष लिखत :

- **चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)**: सरकारी प्रतिभूतियों का कोलेटरल के रूप में प्रयोग करते हुए, रेपो (चलनिधि बढ़ाना) तथा रिवर्स रेपो (चलनिधि कम करना) नीलामी के माध्यम से दैनिक रूप से चलनिधि बढ़ाना या कम करना।
- **खुला बाजार परिचालन (ओएमओ)**: मध्यावधि में चलनिधि के स्तर का निर्धारण करने के एक साधन के रूप में एल एएफ के अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष क्रय / विक्रय
- **बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)**: मौद्रिक प्रबंधन का यह साधन 2004 में प्रारंभ किया गया था।

  बड़े पूंजी प्रवाहों के कारण कुछ ज्यादा अवधि की चलनिधि अल्पदिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों के विक्रय से एब्ज़ार्ब की जाती है। जुटाई गई धनराशि को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।
- **रेपो / रिवर्स रेपो दर** : एलएएफ के अधीन ये दरें अल्पकालिक मुद्रा बाजार ब्याज दरों का कारीडोर निर्धारित करती हैं। बदले में, वित्तीय बाज़ार के अन्य खंडों और वास्तविक अर्थव्यवस्था को इससे दिशा मिलती है।
- **बैंक दर**: यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यक पत्र खरीदता है या उनकी पुनर्भुनाई करता है। यह मध्यावधि में मौद्रिक नीति के रुझान को भी दिखलाता है।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) क्या है

बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि अपनी जमाराशियों के एक प्रतिशत के रूप में कुछ नकदी रिज़र्व में रखें ताकि ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में उनके पास पर्याप्त नकदी हो। विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार, मौद्रिक नीति के साधन के रूप में हम कई मौकों पर इसमें बदलाव करते हैं। हम अपनी केन्द्रीय और कम्पयूटरीकृत प्रणाली से रिज़र्व बैंक के पास बैंकों के शेषों की कुशल और सही निगरानी कर सकते हैं।

''रिज़र्व बैंक में अपने निर्णयों और कार्यों में और अधिक पारदर्शता लाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं।"

वार्षिक नीति वक्तव्य जारी करने के अवसर पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर प्रश्नों का समाधान करते हुए।

अपने निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम रिज़र्व बैंक में हमेशा प्रयास करते हैं।

भावी परिदृश्य

रिज़र्व बैंक चलनिधि प्रबंधन से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही मुद्दों पर ध्यान देता है। दीर्घावधि में, हम एक सुदृढ़ और ग्राह्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विश्व के वित्तीय बाज़ारों की गतिविधियों, पूंजी प्रवाहों, सरकार की राजकोषीय स्थिति और स्फीतिकारक दबावों की निगरानी करते हैं।

खुली और पारदर्शी मौद्रिक नीति –

किसी संदर्भ विशेष में रिज़र्व बैंक अपने उद्देश्यों की महत्ता स्पष्ट करता है, नीति के निर्धारण और नीतिगत परिचालनों में परामर्श करके आगे बढ़ने और स्थूल आर्थिक नीतियों के अन्य खडों के साथ सामंजस्य पर बल देता है। मौद्रिक नीति के निर्धारण में निम्नलिखित से सलाह और इन्पुट लिए जाते हैं:

- मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति
- नीति से पहले बैंकरों, अर्थशास्त्रियों, बाजार में सहभागियों; वाणिज्य और उद्योग के महासंघों तथा अन्य हितधारकों से सलाह
- बैंकों के क्रेडिट प्रमुखों से नियमित विचार–विमर्श
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से फीडबैक
- आंतरिक विश्लेषण

अप्रैल में घोषित रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्यों के बाद, जुलाई, अक्तूबर तथा जनवरी में तीन तिमाही समीक्षाएं की जाती हैं। नीति की समीक्षा से एक दिन पहले एक पृष्ठभूमि रिपोर्ट – रिव्यू आफ़ मैक्रोइकानामिक एण्ड मौनेटरी डैवलपमैंट्स जारी की जाती है। बहुविध कार्यों और जटिल अधिदेश के चलते, प्रभावी कामकाज के लिए रिज़र्व बैंक सुस्पष्ट और क्रमबद्ध संचार पर बल देता है। रिज़र्व बैंक में अपने निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

मुद्रा का जारीकर्ता

रिज़र्व बैंक देश में नोट जारी करनेवाला एकमात्र प्राधिकारी है। भारत सरकार के साथ–साथ, हम देश की मुद्रा के डिज़ाइन और उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा उद्देश्य स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है। रिज़र्व बैंक सिक्कों की भी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार के साथ सलाह करके, हम नेमी तौर पर सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देते हैं और जालसाजी या नकली नोटों के जोखिम कम करने के लिए सुरक्षा विशेषताओं में वृद्धि करने के लिए तरीके खोजते हैं।

हमारा दृष्टिकोण

- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्गम विभागों के सहयोग से मुंबई में मुद्रा प्रबंध विभाग उत्पादन का पर्यवेक्षण करता है और मुद्रा के वितरण का प्रबंध करता है।
- 4,000 से अधिक बैंक शाखाओं में मुद्रा तिजोरियों में – आम तौर पर वाणिज्य बैंक – नोटों और सिक्कों का पर्याप्त भंडार रहता है ताकि देश के सभी भागों में आम जनता को मुद्रा उपलब्ध हो सके।
- रिज़र्व बैंक को दस हजार रुपये तक के मूल्य के नोट जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है।

मैसूर स्थित रिज़र्व बैंक का मुद्रणालय

हमारे साधन

चार मुद्रणालय सक्रियता से नोटों का मुद्रण करते हैं: मध्य प्रदेश में देवास, महाराष्ट्र में नाशिक, कर्नाटक में मैसूर तथा पश्चिम बंगाल में सालबोनी।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुद्रणालयों का स्वामित्व सीक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कार्पोरेशन आफ़ इंडिया (एसपीएमसीआइएल) के पास है, जो कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक कंपनी है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के मुद्रणालयों की स्थापना बीआरबीएनएमपीएल द्वारा की गई है, जो रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक संस्था है।

सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिज़र्व बैंक सिक्कों के वितरण, उन्हें जारी करने और उन्हें हैंडल करने के लिए भारत सरकार का एजेंट है। चार टकसालें कार्यरत हैं: मुंबई, उत्तर प्रदेश में नोयडा, कोलकाता तथा हैदराबाद।

जालसाजी को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक के उपाय

- बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं का निरंतर उन्नयन
- जालसाजी या नकली नोटों के संचलन को रोकने में सहायता के लिए नागरिकों को शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरुकता अभियान।
- नोट छांटने की मशीनें लगाना

रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति

- नोटों को सही प्रकार से हैंडल करने के लिए शिक्षा अभियान; नोटों को स्टैपल न करें, उन पर कुछ न लिखें, ज्यादा फोल्ड न करें और उसी प्रकार के अनुदेश
- गंदे नोटों को समय पर हटा लेना, मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियां तथा नोट छांटने की मशीनें
- वाणिज्य बैंकों की मुद्रा तिज़ोरियों और रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में कटे, कटे-फटे और दोषपूर्ण नोटों को बदलने की सुविधा

भावी परिदृश्य

स्वच्छ नोट उपलब्ध कराने और बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को मजबूत करने पर भविष्य में भी ध्यान दिया जाएगा। अनुपयुक्त गंदे नोटों के मुद्रण, परिवहन, भंडारण और उन्हें हटाने के काम में संख्या तथा लागत को देखते हुए रिज़र्व बैंक नोटों की जीवनावधि बढ़ाने के उपायों का मूल्यांकन कर रहा है – विशेषकर कम मूल्यवर्गवाले नोटों का उदाहरण के लिए, हम पॉलीमर में 10 रु. का बैंक नोट जारी करने पर बिचार कर रहे हैं।

संचलन में सिक्कों तथा नोटों के मूल्यवर्ग:

- संचलन में सिक्के : 25 पैसे, 50 पैसे, 1, 2, 5 तथा 10 रुपये

- संचलन में नोट : रुपये 5, 10, 20, 50,100, 500 तथा 1000

बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर भुगतान के लिए असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा है।

भारतीय सिक्का ढलाई अधिनियम के अनुसार –

- रुपया सिक्का (1 रुपये तथा उससे अधिक) कितनी भी राशि का भुगतान / निपटान करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है।
- 50 पैसे का सिक्का दस रुपये से अनधिक राशि के भुगतान / निपटान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- 50 पैसे से कम छोटे सिक्कों का एक रुपये से अनधिक राशि के लिए

18

सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की एक प्रमुख भूमिका है। अलग-अलग व्यक्तियों, कारोबारों और बैंकों की तरह ही, सरकारों को भी अपने वित्तीय लेनदेनों को कुशल और प्रभावशाली तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आम जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। केन्द्र सरकार के बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक उसके खातों का रखरखाव करता है, इन खातों में धन प्राप्त करता है, इन खातों में से भुगतान करता है और सरकारी निधियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाता है। हम उन राज्य सरकारों के बैंकर का काम भी करते हैं जिन्होंने हमारे साथ करार किया है।

हमारा दृष्टिकोण

सरकार के बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका में कई विशिष्ट कार्य शामिल हैं:

- केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग लेनदेन करना ताकि धनराशियों को प्राप्त करने और उनका भुगतान करने तथा खातों के रखरखाव को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- किफायती और सामयिक तरीके से अपेक्षित राशि का सार्वजनिक ऋण जुटाने के उद्देश्य से सरकार के आंतरिक ऋण का प्रबंध करना।
- सरकारी प्रतिभूतियों का बाज़ार विकसित करना ताकि सरकार यथोचित लागत पर ऋण जुटा सके, अन्य संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के लिए बैंचमार्क उपलब्ध कराना तथा मौद्रिक नीति कार्यों के संप्रेषण को सुविधाजनक बनाना

सत्यमेव जयते

हमारे साधन

प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में, हमारी इलैक्ट्रानिक प्रणाली स्वयमेव ही सरकार के सभी लेनदेनों का समेकन कर देती है जिससे निवल अंतिम स्थिति का निर्धारण होता है। यदि सरकार के खाते में शेष नकारात्मक स्थिति दिखलाता है, तो हम ब्याजयुक्त अल्पकालिक अग्रिम दे देते है जिसे अर्थोपाय अग्रिम डब्ल्यूएमए - कहा जाता है - जिसकी उच्चतम सीमा या राशि अप्रैल में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तय कर दी जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकारी वित्त परिचालनगत स्वरूप

रिज़र्व बैंक का सरकारी और बैंक लेखा विभाग सरकार की बैंकिंग संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है। इस विभाग का कार्यकलाप नीचे दर्शाया गया है:

- **लोक लेखा विभाग:** यह हमारी सरकार के बैंकिंग परिचालनों के दैनिक पहलुओं का प्रबंधन करता है। रिज़र्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अपने एजेंटों के रूप में नियुक्त करता है और सरकार के ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा की अधिकाधिक प्राप्ति के लिए उनकी शाखाओं का प्रयोग करता है।
- **लोक ऋण कार्यालय:** ये विभिन्न संस्थाओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और सरकारी ऋणों की दिशा में कार्रवाई करते हैं।
- **नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग:** यह सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का समेकन करता है।

मुंबई स्थित आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग सरकार के लिए देशी ऋण जुटाता है और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार का विकास करता है।

भावी परिदृश्य

हम भविष्य में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में बाज़ार को अधिक गहन बना कर और विस्तार कर किफायती नकदी एवं ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग लेनदेनों के सक्षम व प्रयोक्ता-सापेक्ष संचालन को साकार करने की दिशा में अग्रसर होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक लोक ऋण के निर्गम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस भूमिका के अंतर्गत ऋण संबंधी आगामी नीलामियों के बारे में नोटिस जारी करके संभाव्य निवेशकों को सूचित करना भी शामिल है।

सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक

यह इस भूमिका के तहत, हम सरकार के साथ परामर्श करके नीतियां तय करते हैं और सरकार को अपनी वित्त संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए धनराशि जुटाने के परिचालनगत पहलू निर्धारित कर सहायता प्रदान करते हैं:

- ऋण की मात्रा, अवधि एवं स्वरूप (स्थिर या अस्थिर दर) का निर्धारण करना
- नीलामियों की धारिता सहित निर्गम प्रक्रिया निश्चित करना
- जनसाधारण और संभाव्य निवेशकों को सरकार की आगामी ऋण-संबंधी नीलामियों की सूचना देना

रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को विस्तृत और गहन बनाने के उद्देश्य से बाज़ार के विकास की दिशा में भी प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत अनुषंगी बाज़ार में उन्नत क्रय-विक्रय व्यवस्था और निपटान तंत्र, प्राथमिक व्यापारियों का प्राधिकरण, निवेशकों में निर्गम प्रक्रिया के प्रति विश्वास पैदा करने हेतु उन्नत पारदर्शिता लाना आदि शामिल है।

बैंको के बैंकर

व्यक्तिगत ग्राहकों, कारोबारियों और सभी प्रकार के संगठनों की ही तरह, बैंकों को भी निधि के अंतरण तथा अंतर–बैंक लेनदेनों के निपटान जैसे अन्य बैंकों से उधार लेना व देना, ग्राहक–संबंधी लेनदेनों के लिए अपनी एक व्यवस्था की अपेक्षा होती है। इस हेतु देशभर में कार्यरत सभी बैंक ठीक उसी प्रकार रिज़र्व बैंक के पास खाते रखे हुए हैं, जिस प्रकार व्यक्तिगत ग्राहक और कारोबारी अपने बैंकों में खाते रखते हैं।

भावी परिदृश्य

बैंकों के बैंकर होने के नाते हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं:

- सुचारु, त्वरित और बेरोकटोक समाशोधन तथा अंतर–बैंक दायित्वों के निपटान को सुसाध्य बनाना।
- बैंकों के लिए निधि अंतरण का एक सक्षम साधन उपलब्ध कराना।
- बैंकों को सांविधिक आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति तथा लेनदेन संबंधी शेष–राशियां बनाए रखने हेतु हमारे पास खाते रखने देना।
- अंतिम उधारदाता की भूमिका अदा करना।

हमारे साधन

रिज़र्व बैंक देश के बैंकों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराता हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। निम्नलिखित बातों का अवलोकन कीजिए, हम किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं

- **गैर-ब्याज वाले चालू खाते :** बैंक, रिज़र्व बैंक के पास कतिपय निबंधन व शर्तों के आधार पर चालू खाते रखते हैं, जैसे न्यूनतम शेष राशि का बनाए रखना। वे हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में खाते रख सकते हैं। बैंक अंतर बैंक निपटान प्रणालियों से होने वाले दायित्वों को निपटाने के लिए इन खातों में से आहरण करते हैं।

  बैंक तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) का प्रयोग करके इन खातों के माध्यम से अन्य बैंकों को इलैक्ट्रानिक रीति से भुगतान का अंतरण कर सकते हैं।
- **जमा लेखा विभाग :** इस विभाग की कंप्यूटरीकृत केंद्रीय निगरानी प्रणाली से बैंकों को बेशी रकम वाले और कमी से ग्रस्त केंद्रों के बीच इष्टतम शेष राशि बनाए रखने के लिए तात्कालिक रूप से अपनी निधि की स्थिति का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **धन-प्रेषण सुविधाएं :** बैंक और सरकारी विभाग निधि के अंतरण हेतु इन सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं।
- **अंतिम उधारदाता :** रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों को चलनिधि उपलब्ध कराता है जो अंतर-बैंक बाज़ार से अल्पावधिक चलनिधिगत संसाधनों को जुटाने की क्षमता नहीं रखते हैं। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह रिज़र्व बैंक इसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप समझता है, क्योंकि इससे जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षित रखा जाता है, फलस्वरूप वित्तीय प्रणाली और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर स्थिरकारी प्रभाव पड़ता है।
- **ऋण और अग्रिम :** रिज़र्व बैंक, आवश्यकता पड़ने पर बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को अल्पावधिक ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराता है ताकि वे विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ उधार देने में सक्षम हो सकें।

रिज़र्व बैंक, बैंकों को चलनिधिगत समर्थन प्रदान करता है। मैसूर मुद्रणालय से नकदी भेजी जा रही है।

भावी परिदृश्य :

हमारे ग्राहकों के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू करना और देश में भुगतान और निपटान सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था और क्षमता को उन्नत करना भविष्य में चुनौतीपूर्ण होगा।

22 बैंकिंग प्रणाली का नियामक

बैंक किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली का मूल अंग होते है। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मज़बूती को सुनिश्चित करने में केन्द्रीय बैंक की भूमिका काफी अहम होती है – साथ ही यह वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ता और जनता के विश्वास को भी बरकरार रखता है। बैंकिंग प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है, सही विकास के लिए रूपरेखा तैयार करता है और ग्राहक के हितों के अनुरूप बैंकिंग परिचालन कराता है, और बचावपरक व समाधानपरक उपायों के माध्यम से समग्र वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखता है।

हमारा दृष्टिकोण

रिज़र्व बैंक देश की वित्तीय प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण करता है। रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभाग भारत की वित्तीय संरचना का गठन करनेवाली संस्थाओं की निगरानी करते है। हम पाते हैं:

- **वाणिज्य बैंक और अखिल भारतीय विकास वित्त संस्थाएँ:** इनका नियमन बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।
- **शहरी सहकारी बैंक:** इनका नियमन और पर्यवेक्षण शहरी बैंक विभाग द्वारा किया जाता है।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक:** इनका विनियमन ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग तथा नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ:** गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग इनका नियमन और पर्यवेक्षण करता है।

हमारे साधन

रिज़र्व बैंक विविध प्रकार के पर्यवेक्षी उपाय अपनाता है –

- ऑन–साइट निरीक्षण
- ऑफ–साइट निगरानी, विनियमित संस्थाओं द्वारा अपेक्षित रिपोर्टिंग का प्रयोग
- विषयपरक निरीक्षण, संवीक्षण और आवधिक बैठकें।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा रिज़र्व बैंक के नियामक और पर्यवेक्षी दायित्वों पर निगरानी रखी जाती है।

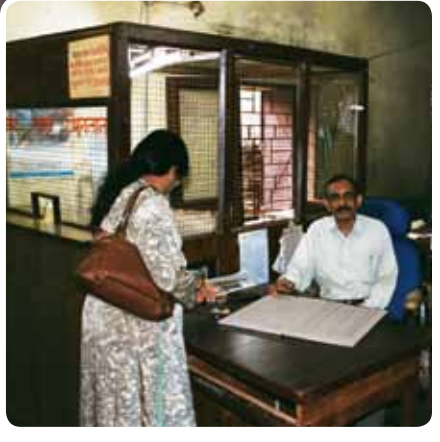

बैंकिंग प्रणाली कार्य चालन के लिए ग्राहक का विश्वास और भरोसा बहुत जरुरी है। रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षण और नियमन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बैंक मजबूत हैं और समस्त प्रणाली सही रूप में कार्य कर रही है।

रिज़र्व बैंक की नियामक भूमिका:

देश के वित्तीय नियामक के रूप में रिज़र्व बैंक बहुत से क्रियाकलाप करता है, जैसे कि

- लाइसेन्स देना
- पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण
- पर्यवेक्षण पर निगरानी
- बैंक की शोद्धक्षमता और चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण विनियमों का निर्धारण
- अर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का निर्धारण,
- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ब्याज दरों का नियंत्रण आय निर्धारण
- आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, निवेश मूल्यांकन, जोखिम सीमाओं और ऐसे ही अन्य विनियामक मानदंडों का निर्धारण
- नयें विनियमों की शुरुआत

भावी परिदृश्य

विनियामक और पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में कुछ चुनौतियां सामने हैं:

- **वाणिज्य बैंकों के लिए** – बासल – II मानदंडों को लागू करने पर ध्यान है, जिसके लिए समुन्नत पूँजी नियोजन और जोखिम प्रबन्धन दक्षता अपेक्षित है;
- **शहरी सहकारी बैंकों के लिए :** लाभदेयता, व्यावसायिक प्रबन्धन और प्रौद्योगिक सुधार पर ध्यान केन्द्रित है।
- **गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों** के बारे में यह ध्यान दिया जा रहा है कि वित्तीय प्रणाली की गहनता में ये संस्थाएं क्या भूमिका और अन्त: सम्बन्ध निभा सकेंगी।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :** ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए आइटी और एचआर के जरिये क्षमता बढ़ाने पर ध्यान।
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों** के लिए इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि वे न्यूनतम विवेकपूर्ण मानकों को पूरा करें।

विदेशी मुद्रा का प्रबन्धक

भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य निर्धारित करने के लिए बाज़ार – आधारित प्रणाली की शुरुआत के साथ, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को प्रारंभ से ही काफी महत्त्व मिला है। हाल ही के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के सम्पर्क में आई और व्यापक व्यापार और पूँजी का आगमन हुआ, इस सिलसिले में भारतीय वित्तीय बाजार में विदेशी मुद्रा बाजार एक अहम क्षेत्र के रूप में सामने आया है।

हमारा दृष्टिकोण

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के नियमन और विकास में रिज़र्व बैंक की अहम भूमिका रहती है, और इस बारे में तीन महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

- विदेशी क्षेत्र से सम्बद्ध लेनदेनों का नियमन और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में सहायता
- देश में स्थित विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की सहजता और व्यवस्थित सक्रियता सुनिश्चित करना;
- देश की विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण भंडार का प्रबन्धन

हमारे साधन

विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियमन, 1999 के प्रशासन का दायित्व रिज़र्व बैंक पर है, और विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए बैंकों और अन्य चुनिंदा संस्थाओं को प्राधिकृत डीलर के रूप में कारोबार का लाइसेंस देकर बाजार का नियन्त्रण करता है। बाजार के विनियमन और विकास का दायित्व विदेशी मुद्रा विभाग पर है।

किसी भी दिन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय दर से विदेशी मुद्रा की माँग और आपूर्ति प्रकट होती है, जो कि व्यापार और पूँजी के लेनदेन से उत्पन्न होती है। विदेशी मुद्रा की अत्यधिक माँग /आपूर्ति के दौरान बाजार में उतार – चढ़ाव में सहजता रखने के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद / बिक्री करने का काम रिज़र्व बैंक के वित्तीय बाजार विभाग द्वारा किया जाता है।

बाजार से खरीदी गई विदेशी मुद्रा के भंडार में से निवेश करने का काम बाह्य निवेश और परिचालन विभाग करता है। अपनी विदेशी आस्तियों में निवेश करते समय रिज़र्व बैंक तीन सिद्धांतों का पालन करता है: सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ।

बाह्य निवेश और परिचालन विभाग विदेशी मुद्रा आस्तियों में बहु-मुद्रा, बहु-लिखत पोर्टफोलिओं का प्रबन्ध करता है। कारोबार करते हुए सुसज्जित डीलिंग रूम का दृश्य

भावी परिदृश्य

इस समय चुनौती यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार को उदार बनाएँ और इसका विकास करें। साथ ही, लगातार बढ़ते हुए वैश्विक वित्तीय बाजार के परिवेश में वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए बाजार के लिए दक्षता में निरन्तर सुधार करें। १९९४ में चालू खाता परिवर्तनशीलता प्राप्त करने के साथ ही अब मुख्य ध्यान पूँजी खाता प्रबन्धन पर है।

> विदेशी आस्तियों में निवेश करते समय रिज़र्व बैंक तीन सिद्धांतों का पालन करता है – सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ।

26 भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियामक और पर्यवेक्षक

समग्र आर्थिक दक्षता को बढ़ाने में भुगतान और निपटान प्रणालियों की अहम भूमिका रहती है। इनमें वह सभी प्रकार की व्यवस्था शामिल है जिसका प्रयोग हम व्यवस्थित रूप से धन–अंतरण में करते हैं– अर्थात – मुद्रा, कागज़ी लिखतें जैसे चेक और विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक विधियाँ।

हमारा दृष्टिकोण:

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में रिज़र्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण सहित व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस भूमिका में हमारा ध्यान सुरक्षित, सुनिश्चित और दक्ष भुगतान और निपटान प्रणाली के विकास और संचालन पर रहता है।

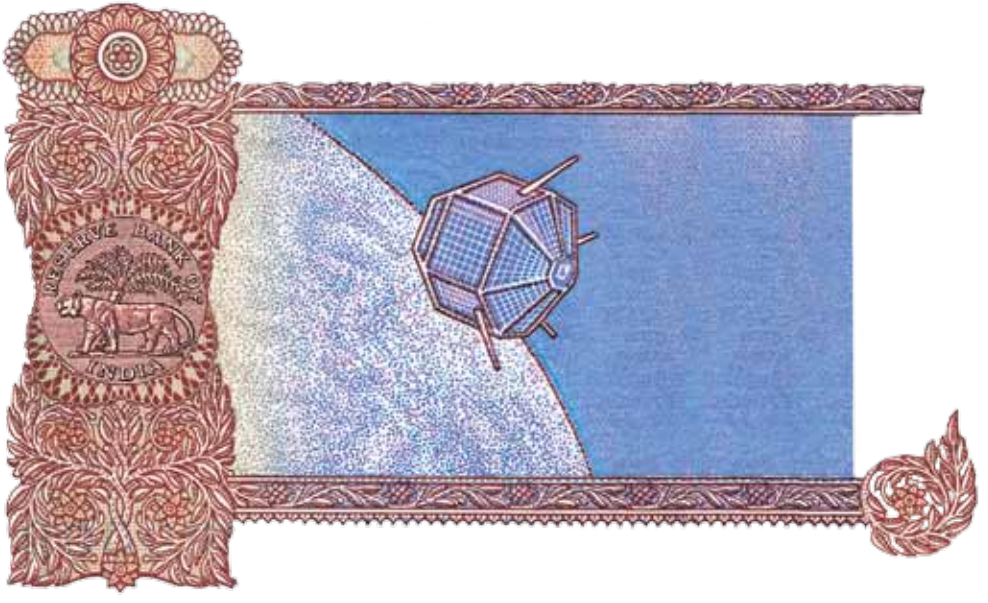

हमारे साधन

रिज़र्व बैंक में द्विस्तरीय व्यवस्था है। पहले स्तर में हमारी भुगतान प्रणाली की मूलभूत संरचना है। दूसरे स्तर पर इस, संरचना के पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया गया है। मूल संरचना के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक अतिसुरक्षित प्रणाली के नेटवर्क की सहायता से भुगतान और निपटान प्रणाली के क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का संचालन करता है। इनमें से अधिकांश का परिचालन भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इनफिनेट) के सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर होता है, जिसमें लेन देन को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। प्रयुक्त प्रणालियों में से कुछ निम्नानुसार हैं:।

- **फुटकर भुगतान प्रणाली:** चेक क्लियरिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रॉंस्फर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांस्फर, कार्ड भुगतानों का निपटान और बड़ी संख्या में किए जाने वाले भुगतान जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा। इनका परिचालन सारे देश में स्थानीय क्लियरिंग हाउसों के जरिये होता है।
- **बड़ी रकम के लिए प्रणालियाँ :** इन में वित्तीय बाज़ारों से अन्तर बैंक लेनदेन का निपटान किया जाता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - निधि अन्तरण के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट सिस्टम; (आर टी जी एस)
  - सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए प्रतिभूति निपटान प्रणाली;
  - विदेशी मुद्रा क्लियरिंग – विदेशी मुद्रा में हुए सौदों के लिए
- **भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग;** भुगतान और निपटान प्रणाली पर नियंत्रण करने हेतु रिज़र्व बैंक का विभाग
- **सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग:** भुगतान प्रणाली और भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आइटी प्रणाली के लिए तकनीकी समर्थन देने वाला विभाग

मॅग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीकॉग्निशन (माइकर) तकनीक के माध्यम से निधियों की त्वरित क्लीयरिंग प्रणाली सबसे पहले 1980 *के दशक में शुरू हुई।*

भावी परिदृश्य

बड़ी रकम वाली प्रणालियों के लिए जोखिम को कम करने में सहायक व्यवस्था का अतिसक्रिय रूप हम निर्धारित कर रहे है। फुटकर भुगतान प्रणाली के बारे में किए जाने वाले प्रयासों में परिचालनगत दक्षता, लागत में किफायत, नई संकल्पना और जोखिम प्रबन्धन पर ध्यान दिया जाएगा। लिए तकनीकी समर्थन देने वाला विभाग

विकासकारी भूमिका

संभवत: यह हमारी गतिविधियों में से एक ऐसा अंश है जिसका प्रचार–प्रसार अधिक होता नहीं है, तथापि, यह सबसे अधिक महत्व रखता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की दृष्टि से संस्थाओं की स्थापना करना, वित्तीय सेवाओं की सुगमतापूर्वक प्राप्ति को बढ़ाना तथा वित्तीय शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

हमारा दृष्टिकोण

विगत वर्षो में रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विकास के अनुरूप नई संस्थाओं की स्थापना की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित कुछ संस्थाओं का नीचे उल्लेख किया गया है:

- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (1962) जिसके माध्यम से बैंक के जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना एवं छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा उपलब्ध कराना
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट (1964), देश का सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड
- भारतीय औद्यौगिक विकास बैंक (1964), उद्योग जगत के लिए एक विकासकारी वित्तीय संस्था
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (1982) ग्रामीण एवं कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए
- भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (1988), मुद्रा बाज़ार की मध्यवर्ती संस्था और सरकारी प्रतिभूतियों मे संबंधित प्राथमिक व्यापारी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (1989), जो आवास वित्त के संवर्धन एवं विनियमनार्थ शीर्ष वित्तीय संस्था है
- भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम (1994) जो कि एक प्राथमिक व्यापारी है।

हमारे साधन

रिज़र्व बैंक लगातार विकासकारी भूमिका अदा करता रहा है, साथ-ही-साथ वित्तीय समावेशन पर विशेष रूप से ध्यान संकेंद्रित करता है। इस सतत् प्रयास में निम्नलिखित प्रमुख साधन समाविष्ट होते हैं:

- **प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र एवं कमज़ोर वर्गों को उधार देने हेतु निर्दिष्ट ऋण:** इसका उद्देश्य कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) जैसे रोज़गारोन्मुख क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह उपलब्ध कराना / वृद्धि करना, साथ ही आवास एवं शिक्षा ऋणों को सहज रूप से प्राप्य बनाना है।
- **अग्रणी बैंक योजना :** देश के प्रत्येक ज़िले में किसी वाणिज्य बैंक को अग्रणी बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है और यह बैंक एवं सरकारी अधिकारियों के बीच समन्वित प्रयास के माध्यम से उस जिले में बैंकिंग विकास सुनिश्चित करता है। रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक जिले के लिए एक अग्रणी ज़िला प्रबंधक को कार्यभार सौंपा है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा सरकार एवं बैंकों के बीच सुचारू कार्यसंचालन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।
- **क्षेत्र-विशेष पुनर्वित्त :** भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र को प्रदत्त ऋण के लिए उन्हें पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। विशेष मामलों में यह अन्य क्षेत्रों को प्रदत्त उधार के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करा सकता है।
- **छोटे स्थानीय बैंकों को सुदृढ़ करना और समर्थन देना** इनके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं।
- **वित्तीय समावेशन :** जनसाधारण तक पहुँच वाले हमारे प्रयासों के अंतर्गत वित्त की सुलभ प्राप्ति को बढ़ाना तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना एक अंग होते हैं।

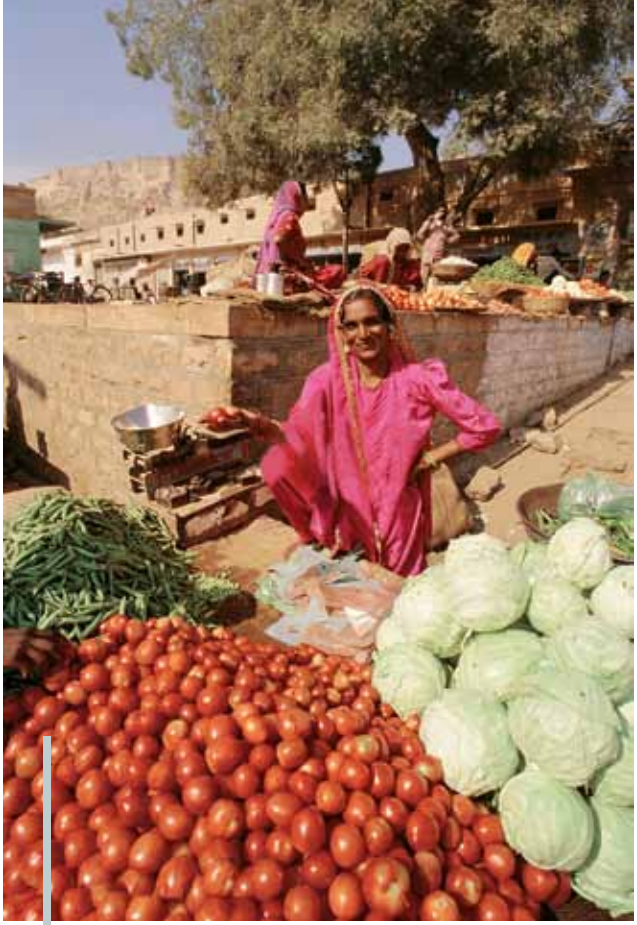

रिज़र्व बैंक का लक्ष्य है अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

भावी परिदृश्य:

रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विकासकारी भूमिका निभाना निरंतर रूप से विद्यमान रहेगा। जनसाधारण तक पहुँच वाले प्रयासों के माध्यम से एवं ग्राहक सेवा पर ज़ोर देते हुए रिज़र्व बैंक समावेशी आर्थिक वृद्धि एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा

वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता:
वित्त की सुलभ प्राप्ति का विस्तारण और वित्तीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना

रिज़र्व बैंक के परिचालनों में से एक मूलभूत पहलू है। ये प्रयास आबादी के समस्त क्षेत्रों को वृद्धिशील व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लाभ की प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कार्य कलाप में से इस दिशा में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- शून्य शेषराशि वाले खाते, नो-फ्रिल बैंक खाते, भुगतान एवं धन-प्रेषण सुविधाओं की सुलभ-प्राप्ति, बचत, ऋण और बीमा सेवाएं जैसी सुलभ वित्तीय सेवा की व्यवस्था को बढ़ावा देना
- प्रौद्यौगिकी का प्रयोग करके बैंकिंग सेवा-प्राप्ति को प्रोत्साहित करना, जैसै सेल फोन, स्मार्ट कार्ड और इसी प्रकार के साधनों के माध्यम से बैंकिंग
- देशभर में कम बैंकिंग सुविधाओं वाली जगहों में बैंक शाखा खोले जाने को बढ़ावा देना।
- देशभर के दूरदराज इलाकों में बैंकिंग कार्यसंचालन को सुसाध्य बनाने के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को काम में लगाना। हम जनसाधारण में दायित्वपूर्ण वित्तीय प्रबंध की जानकारी पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है; जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं:

सूचना व जानकारी का आदान-प्रदान:

- प्रयोक्ता - अनूकूल वेबसाइट, जिसमें विभिन्न भाषाओं में ईज़ी-टू-अंडरस्टैंड टिप्स, ब्रोशर, विज्ञापन और जनसाधारण में बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देने वाली अन्य विज्ञापन सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।
- ऋण परामर्श : रिज़र्व बैंक जनता में बेहतर वित्तीय आयोजनात्मक कौशल विकसित करने हेतु वाणिज्य बैंकों को वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुसंधान, तथ्यात्मक जानकारी और ज्ञान का आदान – प्रदान: हम सम्प्रेषण कैसे करते हैं

सुदृढ़ आर्थिक अनुसंधान, आंकड़ा संचय और ज्ञान के आदान–प्रदान में रिज़र्व बैंक की समृद्ध परम्परा रही है।

हमारे आर्थिक अनुसंधान में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्वदेशी और अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों के अध्ययन और विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। यह कार्य मुख्यतया आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग एवं सांख्यिकीय और सूचना प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है।

इस अहम कार्य की रूपरेखा ऐसी है कि:

- जनता को शिक्षित करे
- नीति और निर्णय करने में सहायता के लिए भरोसेमंद, तथ्य–प्रेरित जानकारी मिले
- अकादमीय अनुसंधान और जनसामान्य के लिए परिशुद्ध और सामयिक आँकड़ों की आपूर्ति करे

जनता के साथ सम्प्रेषण

सम्प्रेषण के दौरान हमारा जोर रहता है क्रियाकलायों की विविधता पर, जिनका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देना है –

रिज़र्व बैंक की वेब साइट (www.rbi.org.in) पर हमारे क्रियाकलापों, हमारे प्रकाशनों, हमारे इतिहास और हमारे संगठन की सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। वेब साइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और प्रकाशनों, भाषणों, प्रेस प्रकाशनों और परिपत्रों की ताजा जानकारी दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रकार की, सम्बधित प्रेस प्रकाशनियों और परिपत्रों को 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

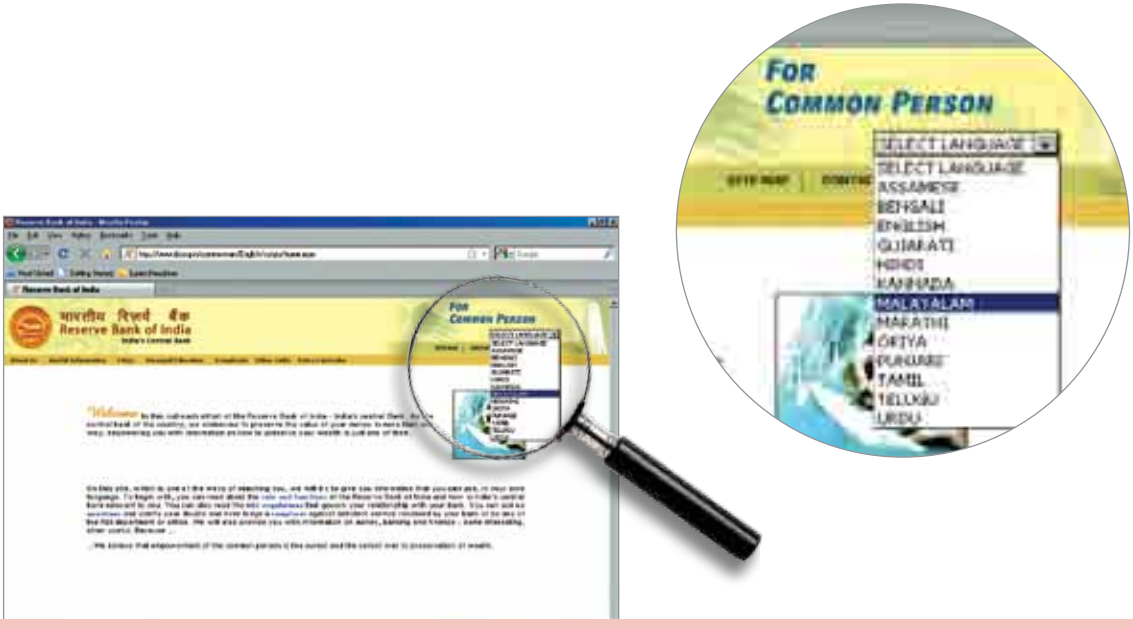

रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए सम्बन्धित सूचना 13 भारतीय भाषाओं में है।

रिज़र्व बैंक के प्रकाशन

नियमित प्रकाशनों में निम्नलिखित है:

वार्षिक

- वार्षिक रिपोर्ट
- मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट
- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यकीय हैंडबुक
- राज्य वित्त: बजट का अध्ययन
- भारत में बैंकसंबंधी सांख्यिकीय विवरणियां
- भारत में अनूसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां

तिमाही

- समष्टि अर्थशास्त्र और मौद्रिक विकास
- सामयिक पत्र
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण संबंधित त्रैमासिक सांख्यिकी

मासिक

- भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन
- मोनेटरी और क्रेडिट इन्फार्मेशन रिव्यू

साप्ताहिक

- साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक

आगामी

वित्तीय स्थिरता पर एक नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना है।

एक केन्द्रीय स्रोत: रिज़र्व बैंक का डाटा भंडार

- उद्यमों के बारे में डाटा भंडार
- रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.dbie.rbi.org.in) के माध्यम से प्रयोक्ता – के लिए सहज, आम अभिगम
- पूर्व – निरूपित रिपोर्टें
- सामान्य और उन्नत प्रकार के प्रश्न
- मूल संकल्पनाओं की परिभाषाएं।

वर्तमान और आगामी चुनौतियों का सामना

अपनी समृद्ध परम्परा की सुदृढ़ नींव पर रिज़र्व बैंक समय के साथ-साथ बदलता रहा है –

रिज़र्व बैंक के लिए अधिदेश है – कल, आज और कल – इसका आशय है ऐसा मौद्रिक और वित्तीय मार्ग बनाना जो वैश्विक गिरावटों, परिवर्तनशीलता की अवधियों और वैश्विक उछाल के दौरान देश की आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक लाभप्रदता को एक समान रूप से बनाए रखे।

हाल ही में वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल की अवधि के पहले और इस दौरान हमारी सक्रियता ने इस वचनबद्धता को उजागर किया है। प्राप्तियों को बनाए रखने और प्रगति को बनाये रखने के लिए अति-सक्रिय उपाय करने में हमने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। इस प्रकार के अनपेक्षित समय के दौरान रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया का लक्ष्य यही रहता है कि रुपये और विदेशी मुद्रा की पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करते हुए सुस्थिरता को बरकरार रखा जाए ताकि व्यवसाय और ग्राहकों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह बना रहे।

राष्ट्र की वित्तीय और मौद्रिक निति निर्माण की चुनौती का सामना करने में हम लगातार यह भी सुनिश्चित करते रहे हैं कि यह सभी आयवर्ग के भारतीय नागरिकों पर सकारात्मक और व्यावहारिक प्रभाव डालने में योगदान करे।

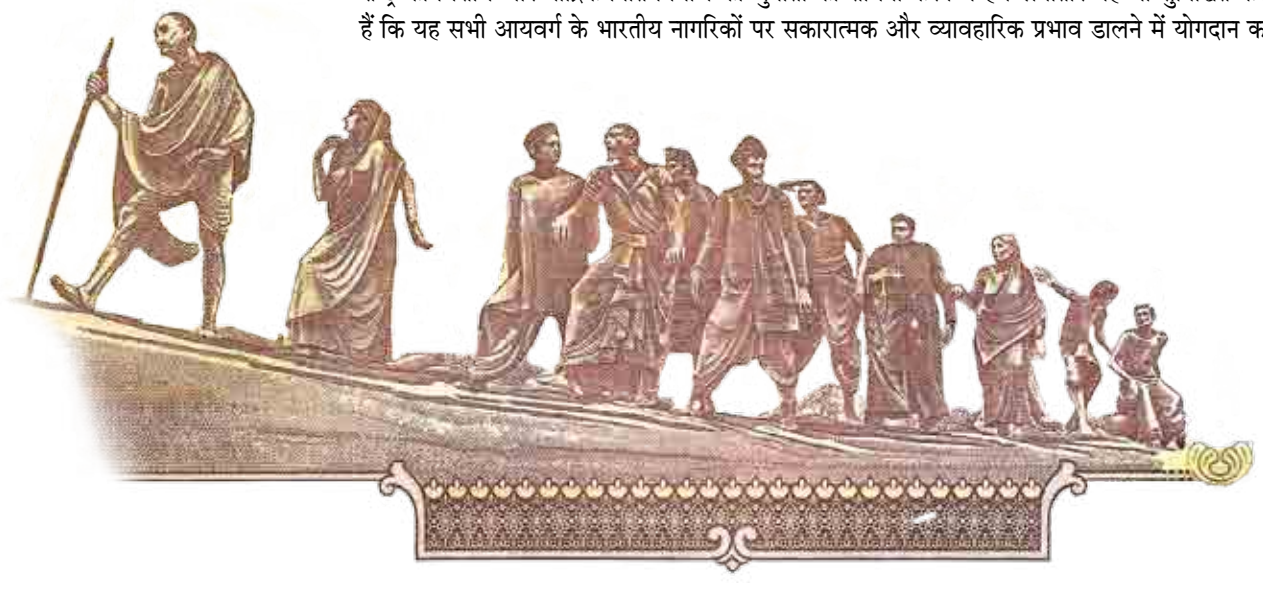

रिज़र्व बैंक - संकटकालीन उपाय

पारम्परिक और गैर पारम्परिक उपायों को प्रयोग में लाने के लिए रिज़र्व बैंक की तत्परता देश को भीषण संकटों से बचाने में सहायक रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हमारी प्रतिक्रिया की कुछ बानगी देखिए:

- स्थिति में सुस्थिरता आने तक ब्याज दरों को घटाने पर सावधानी पूर्वक विचार करके इन्हें सुसंगत बनाया।
- विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में प्रतिबन्धों को ढीला किया।
- अल्पावधि निधीयन अपेक्षाओं को सुचारु रूप देने के लिए रुपया–डालर स्वैप सुविधा का सृजन
- गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए पुन: वित्तपोषण विन्डो और विशेष–प्रयोजन माध्यम की स्थापना
- शीर्ष वित्तीय संस्थानों के लिए निधीयन स्रोतों का विस्तार ताकि छोटे व्यवसायों, आवसन और निर्यात कारोबार को ऋण प्रवाह बना रहे।

ग्राहक सेवा - हम आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?

ग्राहक तक हमारी पहुँच का लक्ष्य यही है कि हम जनता को जानकारी प्रदान करें, जिससे वे यह जानें कि क्या अपेक्षा रखी जाए, वे क्या चुन सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं के सन्दर्भ में उनके अधिकार और दायित्व क्या हैं। ग्राहक सेवा के हमारे प्रयासों की रूपरेखा इस प्रकार है कि समग्र बैंकिंग क्षेत्र में और रिज़र्व बैंक में भी ग्राहक के हितों की रक्षा हो, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़े और शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत बने। हमारे प्रयास इस प्रकार हैं:

- **ग्राहक सेवा विभाग:** कोई भी सवाल? समस्या? चिन्ता? इस विभाग से सम्पर्क करें (helpcsd@rbi.org.in) केन्द्रीय कार्यालय में यह विभाग 2006 में स्थापित हुआ और ग्राहकों की प्रणाली-स्तर पर कठिनाइयों में मदद करता है।

- **भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड:** उधार देने और उचित दर निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने इस बोर्ड का गठन किया। इससे ग्राहकों का प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और औपचारिक बैंकिंग के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। (www.bcsbi.org.in)

- **बैंकिंग लोकपाल:** वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा उनके ग्राहकों के बीच विवाद निपटाने के लिए रिज़र्व बैंक का अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी एक प्रकार से प्रत्येक राज्य में एक बैंकिंग लोकपाल है। (www.bankingombudsman.rbi.org.in)

रिज़र्व बैंक का प्रतीक

करेंसी नोटों, चेकों और प्रकाशनों पर बैंक के प्रतीक चिहन के रूप में बैंक की कॉमन सील का चयन करने का मुद्दा तो उसी समय सामने आ गया था जब बैंक की स्थापना हुई थी।

सील के बारे में सरकार का सामान्य विचार था:

1. सील से बैंक की सरकारी स्थिति तो प्रकट हो लेकिन बहुत निकटता प्रकट न हो।
2. इसके डिजाइन में कुछ भारतीय झलक मिले
3. यह साधारण हो, और प्रतीकात्मक रूप से सही हो
4. डिजाइन ऐसा हो जो बिना ज्यादा बदलाव किए पत्रशीर्ष आदि में भी प्रयुक्त हो सके।

इस प्रयोजन के लिए बहुत सी सीलों, पदकों और सिक्कों को देखा गया। इसके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी डबल मोहर को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, जिस में एक सिंह और नारियल–वृक्ष का अंकन था। यह निर्णय किया गया कि सिंह के स्थान पर बाघ का चित्र दिया जाए जो कि भारत के पशुओं में प्रधान है।

बैंक के शेयर प्रमाणपत्रों पर तत्काल ही सील लगाने की जरूरत को देखते हुए यह कार्य मद्रास की एक फर्म को सौंपा गया। बोर्ड ने 23 फरवरी 1935 को हुई बैठक में सील के डिजाइन का तो अनुमोदन कर दिया लेकिन कहा कि उस पर बनी पशु–आकृति में थोड़ा सुधार किया जाए। उस अवस्था में कोई बड़ी फेर–बदल करना संभव नहीं था। लेकिन उप गवर्नर सर जेम्स टायलर ने अपने प्रयास जारी रखे. उन्होंने भारत सरकार टकसाल और सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस नासिक से नए स्केच बनवाने का काम शुरू कर दिया। बेहतर डिजाइन तैयार हो, इसके लिए उन्होंने बेल्वेडेर, कलकत्ता के प्रवेश द्वारा पर लगी बाघ की मूर्ति का फोटो भी मंगवाया। इस स्केच में हुई गड़बड़ी को देखते हुए सितम्बर 1938 को लिखे गए एक लेख मे सर जेम्स ने लिखा:

पेड़ तो ठीक है, लेकिन बाघ तो श्वान प्रजाति का लग रहा है। मुझे डर है कि श्वान और वृक्ष का यह डिजाइन अश्रद्धालुओं में उपहास का पात्र बन जाएगा... बाघ का चित्र बहुत सुन्दर है, लेकिन वृक्ष ने गुड़गोबर कर दिया है। वृक्ष का तना काफी लम्बा है और शाखाएँ बहुत उलझी हुई हैं, मुझे लगता है कि इस बाघ के नीचे एक आधार भूमि बनाकर और वृक्ष के तने को थोड़ा मोटा करने से मजबूत दृश्य बनेगा और फिर इस डिजाइन का अच्छा परिणाम मिलेगा।

इसके बाद और भी प्रयास हुए और सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, नासिक से बेहतर प्रूफ तैयार कराये गए। तथापि, बाद में यह निर्णय किया गया कि बैंक की सील में अब और परिवर्तन न किया जाए और नए स्केचों का बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों, पत्र शीर्षों, चेकों और प्रकाशनों में प्रयोग किया जाए।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई – 400 001.फोन: 022 - 2260 1000 फैक्स: 022 - 2266 0358 ईमेल: helpdoc@rbi.org.in